प्रकरण संख्या 26/2019 2019/00132 ता0रजू 14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

नरेश कुमार मीना पुत्र तुलसीराम मीना आयु 50 साल जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 04.06.2019 जिला रसद अधिकारी करौली उनवानी सरकार बनाम नरेश कुमार मीना प्रकरण संख्या 242/19

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.01.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा की गई। जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली, श्रीमती सुनीता मीना प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की विस्तृत जांच दिनांक 06.03.2019 को की गई जिसमें अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से नहीं खोलना, नियमित राशन वितरण नहीं करना, उपभोक्ताओं से सही व्यवहार नहीं करना, एपीएल परिवारों को एक माह छोड़कर राशन वितरण करना तथा ऑनलाइन वितरण कर एक माह के राशन का दुरुपयोग करना, यूनिट अनुसार उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना, पोशमशीन की पर्ची नहीं देना, केरोसीन का अवशेष स्टॉक पोस में दर्ज नहीं करना, 13.04 क्विं. गेंहूं, 5.41.500 क्विं. चीनी एवं 9.54.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 04.06.2019 कानून के विपरीत दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के खिलाफ अदालत मातहत ने जो प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा दिनांक 02.01.2009 को जांच के आधार पर निर्णय दिया है वह बिल्कुल गलत है। प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति सुनीता मीना करौली द्वारा जांच में जो एक लगायत 6 बिन्दु दर्ज किये है बिल्कुल गलत है। अपीलाण्ट की दुकान के बाहर मूल्य व स्टाक प्रदर्शन बोर्ड, मोबाइल नंबर भी मौके पर अंकित थे तथा उचित मूल्य की दुकान होना व स्टाक रजिस्टर मौजूद होना सही था किन्तु प्रवर्तन अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा सूची का उचित मूल्य दुकान पर चस्पा होना नहीं पाया गलत दर्ज किया है तथा अपीलाण्ट द्वारा हर माह नियमानुसार राशन सामग्री बांटी गयी है कोई भी महिना छोडा नहीं गया है तथा अपीलाण्ट ने किसी भी उपभोक्ता से राशन सामग्री देने से इन्कार नहीं किया ना ही किसी प्रकार की कोई गाली गलौच की है ना ही उपभोक्ता से दुर्व्यवहार किया है तथा पोश मशीन की पर्ची उपभोक्ता को दी गयी है। अपीलाण्ट ने कोई भी राशन सामग्री किसी को कम नहीं दी स्टॉक रजिस्टर बिल्कुल सही है। प्रवर्तन अधिकारी ने कोई भी गेहूं, चीनी, केरोसीन का कोई नाप तौल

जिला कलक्टर
करौली

नहीं की और मनमाने तरीके से कम बतलाकर झूठे तथ्यों की रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी करौली को की है। जिला रसद अधिकारी करौली ने प्रवर्तन अधिकारी की इस रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं फरमाया और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये झूठे तथ्यों की पेश की है उस पर यह निर्णय देकर अपीलाण्ट के राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर व 1000 रूपया अमानत राशि जब्त कर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट ने किसी भी प्रकार की गेंहू, चीनी, केरोसीन का कोई दुरूपयोग नहीं किया है ना ही कोई अनियमिततायें बरती है। ना ही अपीलाण्ट ने राज. खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है। निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। राजनैतिक द्वेषता के कारण निलंबित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 01.01.2019 को माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा सर्किट हाउस में जनसुनवाई की गई जिसमें ग्राम पंचायत खूबनगर के उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत की गई जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा जांच कर दिनांक 02.01.2019 को जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना, बार–बार चक्कर काटने के बावजूद राशन सामग्री नहीं देना, राशन वितरण की ऑनलाइन पर्ची नहीं देना, वितरित राशन सामग्री का राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं करना पाया गया। साथ ही राशनकार्डों की ऑनलाइन जांच करने पर पाया कि माह नवंबर 2018 के राशन वितरण का माह नवंबर 18 में कोई भी इन्द्राज नहीं है। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की विस्तृत जांच दिनांक 06.03.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली व दो प्रवर्तन निरीक्षकों के जांच दल द्वारा की गई जिसमें दुकान मौके पर बंद पायी गई। राशन डीलर को बुलवाकर दुकान खुलवायी गई। भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 60 सीलबंद जूट के कट्टे (50 किलो भरती के) व 4 खुले प्लास्टिक के कट्टे (तौलने पर 50 किलो प्रति) कुल 64 कट्टे 32 क्विं. गेंहू, चीनी कुल 55 किलो व 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की पोस मशीन दुकान पर नहीं थी एवं जांच के दिन स्वयं अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण नहीं किया जाना बताया। स्वयं अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करना बताया। फर्द मौका पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं जिनसे उक्त तथ्य प्रमाणित हैं। जांच के दौरान उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलार्थी राशन डीलर यूनिट से कम गेंहू देता है। वितरण एक माह छोड़कर एक माह करता है एवं पोस मशीन पर दो बार अंगूठा लगवाता है तथा एक माह का ही राशन देता है। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर पाया कि माह मार्च का प्रारम्भिक स्टॉक 4534 किलो गेंहूं एवं माह मार्च में आमद 00 किलो गेंहूं सहित कुल 4534 किलो गेंहूं में से 30 किलो गेंहूं के वितरण के बाद वक्त जांच 4504 किलो गेंहूं स्टॉक में होना चाहिये था जबकि 1304 किलो गेंहूं कम पाया जाकर 3200 किलो गेंहूं पाया गया। दिनांक 01.01.2018 का प्रारंभिक स्टॉक 541 किलो चीनी एवं 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 250 किलो चीनी सहित कुल 791 किलो चीनी में से 194.5 किलो चीनी के वितरण उपरांत वक्त जांच दुकान में 596.5 किलो चीनी होनी चाहिये थी जबकि 541.5 किलो चीनी कम पायी जाकर 55 किलो चीनी पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 के प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं उसके बाद वक्त जांच तक आमद 7100 लीटर केरोसीन कुल 7100 लीटर केरोसीन में से 6145.5 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 954.5 लीटर स्टॉक में होना चाहिये था लेकिन भौतिक सत्यापन पर 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 1304 किलो गेंहूं, 541.5 किलो चीनी एवं 954.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितताएं हैं

जिला कलक्टर
करौली

जिनके कारण अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का बंद पाया जाना, दुकान को नियमित नहीं खोलना, उपभोक्ताओं को नियमित राशन सामग्री वितरण नहीं करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना पाया गया। उपभोक्ताओं द्वारा जांच कमेटी को दिये बयानों, राशन कार्ड में वितरण के इन्द्राजों व ऑनलाइन रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन सामग्री का वितरण नियमित नहीं करके एक माह छोड़कर एक माह में करता है तथा ऑनलाइन वितरण दो माह का दर्शा कर एक माह का राशन उपभोक्ताओं को देता है, उसमें भी किसी महीने सम्पूर्ण यूनिटों का एवं किसी महीने कम यूनिट का गेंहूं वितरित करता है। इससे उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री से वंचित रहना पड़ता है तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मंशा पूर्ण नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त यह भी कि वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर स्टॉक में 4504 किलो गेंहू, 596.5 किलो चीनी एवं 954.5 लीटर केरोसीन उपलब्ध होना चाहिये था जबकि अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 3200 किलो गेंहू, 55 किलो चीनी व शून्य लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 1304 किलो गेंहूं, 541.5 किलो चीनी, 954.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है जो कि गभीर अनियमितता है। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 04.06.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली